

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(13) आरडी / नरेगा / ह.रा. / 2009-10 / पार्ट-II जयपुर, दिनांक:-

≡ 8 JUL 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हरित राजस्थान हेतु पौधों
की खरीद के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हरित राजस्थान के क्रियान्वयन हेतु पौधों की खरीद के
सबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. पौधों की खरीद हेतु दर निर्धारण जिला कलेक्टर, जिला वन अधिकारी एवं मुख्य
कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की कमेटी द्वारा किया जायेगा।
2. खरीदे गए पौधे की लम्बाई कम से कम 3 फीट आवश्यक रूप से हो।
3. पौधारोपण के लिए ऐसे पौधे खरीदे जाये जो कि क्षेत्रीय मिट्टी में भलीभांति पनप सके
एवं पुष्ट (Sturdy) हो तथा जिनका आसानी से रखरखाव किया जा सके। रखरखाव
के लिए ऐजेन्सी की पूर्व में ही पहचान कर ली जावे एवं रखरखाव का प्रावधान भी
जारी स्वीकृति में ही रखा जावे।
4. कुल आवश्यकता का आकलन किया जाकर, वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के पास
उपलब्धता को ध्यान में रखकर शेष आवश्यकता की ही खरीद की जावे।

उक्त निर्देशों की पालना यथावत रूप से की जावें।

भवदीय,

(जी.एस.सन्यु)
प्रमुख शासन सचिव